।। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

GCMS NO 2024/01

अपील संख्या 09 / 2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. श्री अलादीन पुत्र बचा 2. श्री रमादान पुत्र बचा 3. श्री रहीम पुत्र उरसा जातियान मुसलमान निवासियान तेजरावा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार झिनझिनयाली तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध मुकदमा संख्या 114 / 2023 में जारी आदेश दिनांक 10.10.2023 से क्षुब्ध होकर।

उपस्थित :
1. श्री केशरसिंह भाटी अपीलांट की ओर से

दिनांक : 19–06–2024

निर्णय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का तेजरावा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि अप्रार्थी ने ग्राम तेजरावा के खसरा नं. 79 व 80 में रकबा 60 बीघा राजकीय भूमि किस्म बारानी पर जो माप में 35–02 बीघा पर अतिचार किया तथा गत वर्ष भी अतिक्रमण किया था। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, साथ ही आदतन अतिचारी मानते हुए तीन माह की सिविल जेल की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए गए। अतिक्रमी पर भूमि के वार्षिक लगान रूपये 3.51 का 50 गुणा रूपये 176 जुर्माना आरोपित करने का निर्णय किया गया। इससे क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई। अपीलांट ने अपील में सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपीलांट ने कथन किया है कि उसने राजकीय भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर किसी प्रकार अतिक्रमण नही करने का वचन दिया है। हल्का पटवारी की मौके रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार झिनझिनयाली के द्वारा प्रकरण संख्या 114 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 में अपीलांट की तीन माह की सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है एवं अतिक्रमी पर भूमि के वार्षिक लगान रूपये 3.51 का 50 गुणा रूपये 176 जुर्माना यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर